

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर**  
 क्रमांक:—नर्सिंग / स्थाईकरण / 462-26497 / जो.जयपुर / 2024 / 184 दिनांक:—19/3/24

### आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1965 के नियम 31 एवं 31 ए में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये पर राज्य सेवा में नियुक्ति तिथी से स्थाई किया जाता है —

क.स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथी	प्रथम नियुक्ति तिथी
1.	मीना लालवानी म.स्वा.दर्शिका	जयपुर	20.06.1964	23.09.1985

(राकेश कुमार शर्मा)  
 निदेशक (अराजपत्रित)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / स्थाईकरण / 488-27029 / जो.जयपुर / 2024 / 184  
 प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

दिनांक:— 19/3/24

1. संबंधित समस्त प्रशासनिक / नियंत्रण अधिकारी ।
2. डी.पी.सी (अराजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय ।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें ।
5. आदेश / निजी पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
 राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
6219222

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
 Designation: Director  
 Date :19-03-2024 02:56:47